न्यायालय मुन्सिफ

सोनपुर सारण।

बंटवारा वाद सं0—107 सन् 2021

राजेश्वर सिंह वगैरह.....वादीगण।

बनाम

भरत सिंह वगैरह.....प्रतिवादीगण।

दिनांक— 10.07.2023

उभय पक्ष की ओर से हाजिरी है। आज अभिलेख वादी की ओर से आदेश 39 नियम 1 वो 2 दाखिल आवेदन दिनांक 22.12.2021 पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादी की ओर से आवेदन में कथन है कि प्रस्तुत वाद में वादीगण ने सिडियुल नं0 01 वादपत्र के जायदाद को बांटने के लिए दाखिल किया है। जिसमें मुकदमा हाजा के प्रत्येक फरीक का 1/6 हिस्सा है एवं सिडियुल नं0 01 वादपत्र के जायदाद पर सभी फरिकैन मुकदमा हाजा ने मिलकर बराबर—बराबर पैसा मिलाकर सन् 2003 में संयुक्त रूप से हासिल किया है। वादीगण ने अपने वादी का पुरा उल्लेख अपने वादपत्र में किया है एवं यह आवेदन वादपत्र के अंश समझा जायेगा। इस मुकदमा के प्रतिवादी सं0 01 विवादित जायदाद का रोख पकड़ कर अपने हिस्से से अधिक जमीन में ता जबरदस्ती निर्माण कार्य शुरू कर दिए हैं जिस कारण उसके विरूद्ध अदालत द्वारा निषेधाज्ञा का आदेश पारित करना जरूरी हो गया है। अंतरिम निषेधाज्ञा का आदेश के लिए वादीगण के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन का भार भी वादीगण के पक्ष में है एवं प्रतिवादी सं0 01 के खिलाफ यदि इंतनाई आदेश पारित नहीं होता है कि वादीगण वो प्रतिवादी सं0 02 को अपूर्णिय क्षति होगी। अतः निवेदन है कि प्रतिवादी सं0 01 के खिलाफ इंतनाई आदेश पारित करते हुए इस मुकदमा के दौरान विवादित जमीन पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य करने या उसका स्वरूप बदलने से रोक दिया जाए।

प्रतिवादी की ओर से वादी के उपरोक्त इंतनाई आवेदन का प्रतिउत्तर दिनांक 30.01.2023 को दाखिल कर कथन है कि वादी का

इंतनाई आवेदन दिनांक 22.12.2021 पोषणीय नहीं है। वादी ने तकरारी भूमि पर बंटवारा के लिए वाद लाया है। वादी का कथन है कि तकरारी भूमि दोनों पक्षों के द्वारा खरीदा गया है। दोनों पक्ष कलिका सिंह के लड़के हैं और अपने खानदानी जमीन के बंटवारा के लिए उक्त वाद लाया है। तकरारी भूमि बैनामा से दिनांक 27.06.2003 को खरीदा गया है। वादी का कथन है कि दोनों पक्षों में समझौता हुआ था कि भविष्य में बंटवारा के समय दोनों पक्षों के बीच 6 फीट का रास्ता पूरब से पश्चिम तक छोड़ा जाएगा। वादी ने इस वाद से पहले 144 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत केस भी किया था जिसमें लोकल पुलिस ने मामले को अन्वेशन कर रिपोर्ट दिया कि पहले से ही शुरू से आखिरी तक रास्ता छोड़ा गया है साथ में लोकल पुलिस ने यह भी बताया कि प्रतिवादी का घर पहले से बना हुआ है। प्रतिवादी का आगे कथन है कि दोनों पक्षों के बीच पूर्व से ही बंटवारा हो चुका है। इंतनाई के लिए वादी के पास में प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन भी नहीं है। इसलिए इंतनाई आवेदन खारिज किया जाए।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को विगत तिथि को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में वादी इंतनाई हेतु आवेदन दाखिल किया है। वादी का आवेदन में कथन है कि वादीगण ने सिडियुल नं0 01 वादपत्र के जायदाद को बांटने के लिए दाखिल किया है। जिसमें मुकदमा हाजा के प्रत्येक फरीक का 1/6 हिस्सा है एवं सिडियुल नं0 01 वादपत्र के जायदाद पर सभी फरिकैन मुकदमा हाजा ने मिलकर बराबर–बराबर पैसा मिलाकर सन् 2003 में संयुक्त रूप से हासिल किया है। इस मुकदमा के प्रतिवादी सं0 01 विवादित जायदाद का रोख पकड़ कर अपने हिस्से से अधिक जमीन में ता जबरदस्ती निर्माण कार्य शुरू कर दिए हैं जिस कारण उसके विरूद्ध अदालत द्वारा निषेधाज्ञा का आदेश पारित करना जरूरी हो गया है।

जबकि प्रतिवादी का प्रतिउत्तर में कथन है कि तकरारी भूमि दोनों पक्षों के द्वारा खरीदा गया है। दोनों पक्ष कलिका सिंह के लड़के हैं और अपने खानदानी जमीन के बंटवारा के लिए उक्त वाद लाया है। तकरारी भूमि बैनामा से दिनांक 27.06.2003 को खरीदा गया है। वादी का कथन है कि दोनों पक्षों में समझौता हुआ था कि भविष्य में बंटवारा के समय दोनों

पक्षों के बीच 6 फीट का रास्ता पूरब से पश्चिम तक छोड़ा जाएगा। वादी ने इस वाद से पहले 144 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत केस भी किया था जिसमें लोकल पुलिस ने मामले को अन्वेशन कर रिपोर्ट दिया कि पहले से ही शुरू से आखिरी तक रास्ता छोड़ा गया है साथ में लोकल पुलिस ने यह भी बताया कि प्रतिवादी का घर पहले से बना हुआ है। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि तकरारी एराजी पर अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति भी हुई थी जिन्होंने अपने प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया है कि विवादित प्लॉट पर पूरबे–पश्चिमें कुछ भाग पर 6 फीट रास्ता पाया एवं कुछ भाग में पूरब रास्ता बंद पाया एवं विवादित भूमि पर कोई निर्माण कार्य या निर्माण सामग्री नहीं पाया गया। ऐसी परिस्थिति में तकरारी एराजी पर वादी का न तो प्रथम दृष्टया मामला बनता प्रतीत होता है न ही सुविधा का संतुलन। इंतनाई लागू होने से प्रतिवादी को क्षति होता प्रतीत हो रहा है। अतः वादी की ओर से दाखिल इंतनाई आवेदन दिनांक 22.12.2021 को खारिज किया जाता है।

वाद दिनांक.....का 89 सी0पी0सी0 के अंतर्गत नियत किया जाता है।

मुन्सिफ

सोनपुर सारण।